

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/112747/MTH/MATHURA/2905/CFO

दिनांक: 28-03-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **RAMAN LAL SHORAWALA PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता -,**MAHOLI ROAD, MATHURA** तहसील - **MATHURA**, प्लाट एरिया **8100.00 sq.mt** , कुल कवर्ड एरिया **3584.78** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
RAMAN LAL SHORAWALA PUBLIC SCHOOL	3	0	11.43 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **RAMAN LAL SHORAWALA PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **01-04-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VIRENDRA GOYAL** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **02-04-2024** से **02-04-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **RAMAN LAL SHORAWALA PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **RAMAN LAL SHORAWALA PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** यह अनापत्ति प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 18-छ: -पु0-8-2022-905(34)/2016 टीसी गृह पुलिस अनुभाग-8 दिनांक 07.01.2022 के क्रम में भवन के केवल भूतल, प्रथम व द्वितीय तल पर SCHOOL संचालन हेतु निर्गत किया जा रहा है। तृतीय तल पर टीन सेड का निर्माण किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-181(1)/छ:-पु0-8-2024-801(1)/2023 दिनांक 18 जनवरी 2024 के अनुसार भवन हैं जिसके सेटबैक सत्ता प्राधिकारी के निर्णय के अधीन होंगे भवन में निरन्तर मॉकड्रिल फायर डिमास्ट्रेशन एवं विद्युत वायरिंग लोड का सम्बन्धित विभाग से आडिट करायी जाना अनिवार्य होगा।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(NARENDRA PRATAP SINGH)

[DD6CB06BD3E6F9ABD467DA98CC4D7C67FC311E26]

02-04-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 02-04-2024  
स्थान : MATHURA

ATTESTED

  
Principal  
Ramanlal Shorawala Public School  
Mathura